

(विद्युत पैकेज नं०-2 व 3 दिनांक 18.02.2017)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(आर.ई.सर्किल)

क्र.जे.पी.डी. मु.अ.(प्रोजेक्ट्स) जयपुर/अधी.अभि.(आर.ई.)/अधि.अभि.(II)/सहा. अभि (II)/प. 146/प्रे. 186 दि 20.2.17

आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शनों के सर्तकता जाँच के आदेशों में सरलीकरण के सम्बन्ध में।


1. कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 31.03.2007 तक) के बिन्दु संख्या 19 में संशोधन करने हेतु जारी आदेश आर.ई.ओ. -252 दिनांक 28.04.2016 के बिन्दु संख्या 19 (अ) व 19ब(2) में दुरुपयोग राशि एवं प्रोविजनल दिवानी दायित्व की गणना करने हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

i. विद्युत दुरुपयोग के प्रकरणों में निर्धारण अवधि अधिकतम 2 माह होगी।

ii. विद्युत चोरी के प्रकरणों में निर्धारण अवधि उपभोक्ता के प्रकरण में अधिकतम 2 माह एवं गैर उपभोक्ता के प्रकरण में अधिकतम 4 माह होगी।

2. कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 31.03.2007 तक) के बिन्दु संख्या 19 में संशोधन करने हेतु जारी आदेश आर.ई.ओ.-252 दिनांक 28.04.2016 के बिन्दु संख्या 19ब(3) को निम्न प्रावधान को निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

"विद्युत चोरी के प्रथम अपराध प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद भी आंकलित प्रशमन राशि व वैधानिक दायित्व राशि के विरुद्ध उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष को अपना अभ्यावेदन वी.सी.आर. की तिथि से 60 दिवस में 20 प्रतिशत आंकलित वैधानिक दायित्व राशि (जो कि समायोजन योग्य होगी) जमा करा कर प्रस्तुत कर सकेगा, तथा उपभोक्ता या प्रभावित व्यक्ति द्वारा आवेदन शुल्क रूपये 500/- (वापस देय नहीं) वृत्त लेखाधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा।




(पी.के. जैमिनि)

मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट्स)
जयपुर डिस्कॉम जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2-अध्यक्ष डिस्कॉमस जयपुर।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 4-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
- 5-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा)विद्युत वितरण निगम लिमिटेडजयपुर/भरतपुर/कोटा।
- 6-मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
- 9.-प्रावधिक सहायक, प्रबन्धनिदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुरविद्युतवितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 10-प्रावधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
- 11-प्रावधिक सहायक सलाहकार (ऊर्जा) मुख्यमंत्री, जयपुर।
- 12-प्रावधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
- 13-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल), जयपुर।
- 14-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
- 15-सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय, जयपुर ।
- 16-अधिशोषी अभियन्ता (पवस/ग्रीवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 17- विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर।
- 18-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 19-निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
- 20-निजी सहायक; अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ।
- 21-इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।


मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट्स)
जयपुर डिस्कॉम जयपुर